



2026:AHC:25708-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1751 / 2026

रोहित सेंगर

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अमरजीत चौधरी, संगम सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीयन्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका में थाना- औरैया, जनपद- औरैया में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 941 / 2025, अंतर्गत धारा 103(1), 238 बी.एन.एस. से उत्पन्न एफ.आई.आर. दिनांक 30.12.2025 को निरस्त करने की मांग की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी शिकायत योग्य अपराध प्रकट नहीं होता है और इस प्रकार, प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किए जाने योग्य है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध शिकायत योग्य अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, और इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय द्वारा तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी, (2017) 2 एससीसी 779, 'नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य, (2021) एससीसी ऑनलाईन एससी 315 और माननीय शीर्ष अदालत के हालिया निर्णय अपराधिक अपील संख्या 843 / 2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी व अन्य के मामलों में प्रतिपादित कानून के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध प्रकट करती है, हमारी यह राय है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

6. अतः, प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. हालांकि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम/नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथासंभव शीघ्रता से विचार कर उसे निस्तारित किया जाए।

8. इन टिप्पणियों के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

5 फरवरी, 2026

के.यू.

(अचल सचदेव, जे.) (राजीव गुप्ता, जे.)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"